न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,भदोही–ज्ञानपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–157 सन् 2026

सी0 एन 0 आर 0 नं0 यू0 पी0 एस 0 एन 040033082026

सरकार बनाम हैदर अली।

अपराध संख्या–86 सन् 2026

धारा–305(ए),317(2) बी0 एन 0 एस 0

थाना–भदोही, जिला–भदोही।

09–03–2026

प्रार्थी/अभियुक्त हैदर अली पुत्र यार मोहम्मद , निवासी–रामनगर गजेन्द्रा, थाना–सिन्धौरा, जिला–वाराणसी, की तरफ से मु0 अ 0 सं0–86 सन् 2026 अन्तर्गत धारा–305(ए),317(2) बी0 एन 0 एस 0, थाना–भदोही, जिला– भदोही के अभियोग में जमानत हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त अभियोग में न्यायिक अभिरक्षा जिला कारागार –ज्ञानपुर भदोही में निरुद्ध है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा अभियोजन प्रलेखों का अवलोकन किया।

जमानत के आधार में कहा गया है कि प्रार्थी के पास कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है और किसी भी चोरी का सामान उसके पास नहीं है। प्रार्थी ने किसी प्रकार की कोई भी सम्पत्ति को नुकसान कारित नहीं किया है। प्रार्थी बेगुनाह है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी दिनांक–01.03.2026 से उपकारागार ज्ञानपुर में निरुद्ध है। प्रार्थी अपनी जमानत मुचलका देने को तैयार है। तदैव जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन पक्ष की तरफ से जमानत का विरोध करते हुये कहा गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय गैर जमानतीय है। तदैव जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज ही जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर बल दिया गया। अभियुक्त दिनांक –01.03.2026 से जिला कारागार ज्ञानपुर –भदोही में निरुद्ध है। अभियुक्त सह अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक –28.02.2026 को समय करीब 02 बजे दिन वादी मुकदमा के लड़की पैदा होने की सूचना पर मोटर साईकिल नेग मांगने वादी के घर गये और उसी समय घर में घुसकर जेवरात चुराकर उक्त मोटर साईकिल से भाग गये तथा उक्त चोरी शुदा सामान अभियुक्त के कब्जे से बरामद होना कहा गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कई मुकदमे पंजीकृत हैं। सह अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर व अजमानतीय है। प्रकरण के समग्र तथ्य, परिस्थितियां एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के मत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई समुचित आधार नहीं है। तदनुसार प्रार्थी /अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त हैदर अली की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक–09.03.2026

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भदोही–ज्ञानपुर।